रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 1981/चैत्र 23, 1903
No. 147] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 1981/CHAITRA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1981

सा० का० नि० 290(अ)—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 को और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1516 तारीख 24 नवम्बर, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 22 दिसम्बर, 1979 के पृष्ठ 2967-2970 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख को जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, 60 दिन की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 जनवरी, 1980 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) नियम इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे किन्तु इसके नियम 2 और 4 (ब) प्रकाशन की तारीख के छह मास पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, नियम 49 के उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(11) कोई भी व्यक्ति खाद्य में उपयोग के लिए ऐसे लेक्टिक एसिड का विक्रय भारतीय मानक संस्थान के चिह्न के अधीन ही करेगा, अन्यथा नहीं—

(12) भट्ठी रीति से तैयार किया गया कत्था, "भट्ठी कत्था" के रूप में स्पष्टतया चिह्नांकित होगा" ;

3. उक्त नियमों के नियम 50 में,—

(क) उपनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) एक या अधिक खाद्य वस्तुओं के लिए और एक ही स्थानीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थापना या परिसरों के लिए भी अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा एक अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा ।"

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यदि खाद्य वस्तुएं एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में स्थित भिन्न भिन्न परिसरों में विनिर्मित, भंडारित या प्रदर्शित की जाती हैं तो अलग अलग आवेदन किए जाएंगे और एक ही स्थानीय क्षेत्र में न आने वाले ऐसे प्रत्येक परिसर के बारे में अलग अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी :

परन्तु फेरी लगाकर बेचने वालों को, जिनके कारबार का कोई विनिर्दिष्ट स्थान नहीं है, अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता के अंदर किसी विशेष स्थान पर कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में,—

(क) मद क 11.02.08 में "को अनुपातिक रूप से कम किया जाएगा किन्तु वे" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) मद क 15 01 में, "भार में 40,000 भाग में एक भाग (25 भाग प्रति दस लाख) पोटाशियम आयोडेट या भार में 50,000 भाग में एक भाग (20 भाग प्रति दस लाख) पोटाशियम आयोडाइट या समतुल्य आयोडीन होगा ।" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "विनिर्माता स्तर पर आयोडेट तत्व 25.35 भाग प्रति दस लाख के रेंज में होंगे और वितरण चेनल में जिसमें खुदरा स्तर भी सम्मिलित है, 15 भाग प्रति दस लाख से कम नहीं होगा ।" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) मद क 16.13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"क 16.13—मसालेदार चटनी :—मसाले द्वारा चटनी जैसे मिर्च की चटनी का उत्पादन किसी उपयुक्त किस्म के मसालों में एक या अधिक को मिलाकर प्राप्त की जाएगी । ऐसे मसाले स्वास्थ्यप्रद होंगे और व्यावहारिक रूप से सुसरी या कीड़ों के प्रकोप से मुक्त होंगे । जो पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, वह हैं—मसाले ताजे या सूखे, चीनी, नमक, सिरका, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, थ्यूकेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इमली का गुदा या सारकृत इमली, मैलिक अम्ल, प्याज, लहसुन, सुवास कारक, अनुज्ञात परिरक्षक, अनुज्ञात स्थायिकारक और पायसी कारक । इसमें भुनी चीनी (कैरामेल) भी हो सकती है किन्तु उसमें कोई कोलतार खाद्य रंग नहीं होंगे । इसमें थोड़ी मात्रा में सब्जी, फलों का गुदा या रस भी हो सकता है ।

एसिटिक अम्ल के रूप में कुल अम्लता 1.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी और कुल घुलनशील ठोस पदार्थ भार में 10.00 प्रतिशत से कम नहीं होंगे ।"

(घ) मद क—21 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु भट्टी कत्था की दशा में, शुष्क आधार पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील राख 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । भट्टी कत्था को उसी तरह चिह्नांकित किया जाएगा जैसा नियम 49 के उपनियम 11) में अपेक्षित है ।

[सं० पी० 15014/9/77-पीएच(एफएंड एम)एफए]

सी० बी० एस० मणि, अपर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

**(Department of Health)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1981

**G.S.R. 290(E).**—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 15 16, dated the 24th November, 1979 at pages 2967 to 2975 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 22nd December, 1979 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 60 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said gazette were made available to the public on 14th January, 1980;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes thhe following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:-

RULES

1. (i) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (II Amendment) Rules, 1981.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except rules 2 and 4 (d) which shall come into force six months after the date of the publication.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 hereinafter referred to as the said rules, in rule 49, after sub-rule (10) the following sub-rules shall be inserted, namely :—

(11) No person shall sell lactic acid for use in food except under Indian Standards Institution Marks.

(12) The Katha prepared by Bhatti method shall be conspicuously marked as "Bhatti Katha".

3. In rule 50 of the said rules :—

(a) in sub-rule (I-A), after the words "more articles of food" the following shall be inserted namely :"

"and also for different establishments or premises in the same local area."

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule be substituted, namely :

"(4) If the articles of food are manufactured, stored or exhibited for sale at different premises situated in more than one local area, separate applications shall be made and a separate licence shall be issued in respect of such premises not falling within the same local area :

Provided that the itinerant vendors who have no specified place of business, shall be licensed to conduct business in a particular area within the jurisdiction the licensing authority."

4. In Appendix B to the said rules,

(a) in item A. 11.02.08, in the first paragraph the words 'may be proportionately reduced but" appearing towards its end shall be omitted;

(b) in item A.15.07, for the words, figures, brackets and letters "one part to 40,000 parts (25 ppm) by weight of potassium iodate or one part to 50,000 parts (20 ppm) by weight of potassium iodide or equivalent iodine", the words, figures and letters "the potassium iodate content shall be in the range of 25—35 ppm at manufacturers level and shall not be

less than 15 ppm in distribution channel including retail level" shall be substituted;

(c) after item A.16.12, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"A.16.13—Spices based sauce.— Spices based sauce like chillies sauce shall be the product derived from any suitable variety of spices or condiments, singly or in combination. Such spices shall be wholesome and practically free from fungal or insect attack. The only substance that may be added are, spices—fresh or dried, sugar, salt, vinegar, acetic acid, citric acid, fumaric acid, onion, garlic, flavouring agents, permitted preservatives, permitted stablizers and emulsifiers. It may contain caramel, but shall not contain any coaltar food colour. It may also contain small quantities of vegetable, fruit pulp or juice.

The total acidity in terms of acetic acid shall not be less than 1.0 per cent and total soluble solids shall not be less than 10.0 per cent by weight."

(d) in item A.21, the following proviso shall be added at the end, namely :—

"Provided that in case of Bhatti Katha, the ash insoluble in dilute hydrochloric acid on dry basis shall not be more than 1.5 per cent. The Bhatti Katha be marked as required in sub-rule (12) of rule 49."

[No. P. 15014/9/77-PH(F&N)PFA]

C. V. S. MANI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981